

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर

क्रमांक एफ-1-119/2015/सात-4,

नया रायपुर दिनांक 23.01.2016

भर्ती हेतु विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ-1-119/2015/सात-4, नया रायपुर दिनांक 23.01.2016 के अनुसार प्रदेश के नीचे अंकित 18 जिलों में पटवारी के 342 रिक्त पदों हेतु पटवारी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये प्रतियोगी परीक्षा हेतु संबंधित जिले के ही पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर 29 जनवरी 2016 से आमंत्रित किये जाते हैं। कोई भी अभ्यर्थी केवल उसी जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन कर सकेगा, जिस जिले का वह स्थानीय निवासी हो। इस प्रयोजन हेतु आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, उनके छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में उल्लेखित जिले का स्थानीय निवासी माना जायेगा तथा उसी जिले से ही आवेदन करने की पात्रता होगी।

2. परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है -

1. परीक्षा की तिथि - 28 फरवरी 2016, रविवार,
2. परीक्षा का समय - पूर्वान्ह 9.00 से 12.15 बजे तक
3. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि - 29.01.2016
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर
ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भरने की अंतिम तिथि } - 08.02.2016, रात्रि 11.59 तक
- ऑनलाइन आवेदन कर ऑफलाइन पेमेंट हेतु
SBI Bank के चालान प्राप्त करने की अंतिम तिथि } - 10.02.2016, सायं 5.00 तक
- ऑफलाइन (SBI Bank) के चालान द्वारा
भुगतान की अंतिम तिथि } - 11.02.2016 बैंक के कार्यालयीन समय तक
4. परीक्षा शहर - संबंधित जिला मुख्यालय
5. परीक्षा शुल्क - सामान्य वर्ग - 350/-
अन्य पिछड़ा वर्ग - 250/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति - 200/-



// 2 //

3. जिले में पटवारी प्रशिक्षण हेतु रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिले का नाम	वर्ग														
		अ.ज.जा.			अ. जा.			अन्य पिछड़ा वर्ग			अनारक्षित			योग		
		मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	रायपुर	1	0	1	3	2	5	3	2	5	16	6	22	23	10	33
2	धमतरी	1	1	2	1	0	1	1	0	1	3	1	4	6	2	8
3	दुर्ग	1	0	1	1	0	1	1	0	1	3	2	5	6	2	8
4	राजनांदगांव	3	1	4	1	1	2	1	1	2	5	2	7	10	5	15
5	कबीरधाम	1	1	2	1	0	1	1	0	1	3	2	5	6	3	9
6	गरियाबंद	9	4	13	2	1	3	3	2	5	9	4	13	23	11	34
7	बलौदाबाजार	5	2	7	1	1	2	2	1	3	6	2	8	14	6	20
8	बेमेतरा	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2	2	4	5	2	7
9	जांजगीर-चांपा	1	1	2	3	1	4	1	1	2	6	2	8	11	5	16
10	रायगढ़	11	4	15	4	2	6	4	2	6	11	5	16	30	13	43
11	कोरबा	10	4	14	2	1	3	3	2	5	8	3	11	23	10	33
12	बीजापुर	5	2	7	1	0	1	1	0	1	0	0	0	7	2	9
13	बस्तर	3	1	4	0	0	0	1	0	1	1	1	2	5	2	7
14	नारायणपुर	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
15	सुकमा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
16	कोरिया	4	2	6	1	0	1	1	1	2	3	2	5	9	5	14
17	सूरजपुर	11	5	16	1	1	2	3	2	5	8	4	12	23	12	35
18	बलरामपुर	21	9	30	1	1	2	5	2	7	6	3	9	33	15	48
	योग	89	38	127	24	11	35	32	16	48	91	41	132	236	106	342

- टीप -1. भूतपूर्व सैनिक सहित अन्य वर्गों को शासकीय सेवा में दिया जाने वाला आरक्षण/अन्य लाभ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2014 के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए दिया जावेगा।
2. विभाग के भर्ती नियम के अनुसार उपर्युक्त विज्ञापित पदों हेतु निःशक्तजन पात्र नहीं होंगे।
विज्ञापित पदों पर चयन/ नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में मान. न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन होंगी।

4. पटवारी पद हेतु शैक्षणिक अर्हता :-

- (1) छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त विद्यालय से हायर सेकेन्ड्री परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए।
तथा
- (2) शासकीय/अर्धशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता होना चाहिए,
परन्तु अधिसूचित क्षेत्र के सफल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो पटवारी पद पर प्रशिक्षण हेतु चयनित होंगे, को शासकीय अथवा अर्धशासकीय या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 1 वर्ष के भीतर कम्प्यूटर एप्लीकेशन अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 01 वर्ष डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति।

कम्प्यूटर एप्लीकेशन अर्हता हेतु मात्र निम्नांकित को ही मान्यता है :-

- (1) मान्यता प्राप्त आई.टी.आई से कम्प्यूटर आपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेन्ट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट ।
- (2) मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साइन्स/माडर्न आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)
- (3) वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/डीम्ड युनिवर्सिटी/मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साइन्स/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पी.जी. डिप्लोमा अथवा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि ।
- (4) DOEACC Society New Delhi द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा ।

5. वेतनमान - 5200-20200, ग्रेड वेतन 2200/- इसके अतिरिक्त शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों, जो प्रतियोगी परीक्षा में चयन उपरांत एक वर्ष का प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने पश्चात् पटवारी के पद पर नियुक्त किये जाने पर देय होगा ।

6. आयु सीमा - दिनांक 01.01.2016 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये । छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/3/एक दिनांक 17.12.2015 द्वारा कैलेंडर वर्ष 2016 हेतु दी गई 5 वर्ष की छूट को मिलाकर अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी । छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी, किन्तु किसी भी दशा में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

7. निर्देश तथा शर्तें -

1. आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र में उल्लेखित जिले का स्थानीय निवासी होना मान्य किया जाएगा ।
2. जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन आवश्यक है ।
3. रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि करने का अधिकार नियोक्ता का होगा ।
4. आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण यथा जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची/प्रमाण पत्र, हायर सेकेन्ड्री स्कूल की अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय में पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र, (शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को छोड़कर), कम्प्यूटर अर्हता का प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रतियां एवं स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां प्रशिक्षण हेतु चयन उपरांत सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है ।
5. ऑनलाइन दर्ज किये गये विवरण को पूरी तरह से जांच कर लेवें। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
आवेदन पत्र भरने से पहले आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सैम्पल फार्म (नमूना आवेदन पत्र) का अवलोकन करें। असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थिता और चयन किसी भी स्तर पर निरस्त कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।
6. कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा एवं कोई भी अभ्यर्थी जिसके 02 से अधिक संतान है, जिनमें किसी एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है



तथा द्वितीय संतान 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् पैदा हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरहित नहीं होगा।

7. छ.ग. लोक सेवा (महिलाओं के लिए नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार विज्ञापित पदों के 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।
8. चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।
9. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
10. लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए पृथक से कोई यात्रा व्यय नहीं दिया जावेगा।
11. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी। प्रतियोगी परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरांत उनकी नियुक्ति 03 वर्षों की परीवीक्षा अवधि पर की जावेगी।
12. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राज्य शासन का होगा एवं कर्मचारियों की पदस्थापना तत्समय उपलब्ध पदों के आधार पर की जावेगी। पदस्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
13. विज्ञापन की कंडिका-5 में पद के लिए पुनरीक्षित वेतनमान दर्शाया गया है तथा निर्धारित वेतनमान में शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते देय होंगे, जो प्रतियोगी परीक्षा में चयन उपरांत एक वर्ष का प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् पटवारी के पद पर नियुक्ति के उपरांत देय होगा।
14. शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों एवं छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख, तृतीय श्रेणी अराजपत्रिक (कार्यपालिका एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2014 में पटवारी पद पर चयन हेतु उल्लेखित शर्तों की पूर्ति की जाने पर ही नियुक्ति की पात्रता होगी।

8. परीक्षा पद्धति :-

इस परीक्षा में सम्बंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित 150 अंकों के 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।

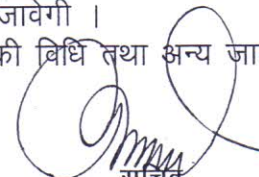
9. मूल्यांकन पद्धति :-

प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे। उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर एक अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर (-) ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जायेंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिए शून्य (zero) अंक प्रदान किये जायेंगे।

10. चयन प्रक्रिया :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों की जिलेवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी। प्रत्येक जिले की कम्बाइंड मेरिट, ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी., महिला तथा भूतपूर्व सैनिकों की पृथक-पृथक मेरिट विभाग को सौंपी जायेगी, जिसके आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात् पात्र पाये जाने पर नियोक्ता द्वारा चयन की कार्यवाही की जावेगी।

विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की विधि तथा अन्य जानकारी व्यापम की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर देखा जा सकता है।


 सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

23/1/2016